

नीलाग पत्र काद संख्या- 88/2019-20

23.11.21

प्रशासनिक व्यवस्था के कारण अभिलेख पर कारवाई नहीं की जा सकी है।
अभिलेख दिनांक 28.12.21 को रखा।

नीलाग पत्र पदार्थ
- 48 -
अं० अ०
कारमाटी (विद्यालय)

28.12.21

अभिलेख उपस्थापित। नोटिफाई किया।
आपराध। देनदार की पुनः नोटिफाई
करें।

अभिलेख दिनांक 28.01.2022 को रखा।

नीलाग पत्र पदार्थ
- 48 -
अं० अ०
कारमाटी (विद्यालय)

28.01.22

अभिलेख उपस्थापित।
नोटिफाई का मामला प्रविष्टन अपराध है।
पुनः नोटिफाई निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 08.03.22 को रखा।

नीलाग पत्र पदार्थ
- 48 -
अं० अ०
कारमाटी (विद्यालय)

08.03.22

अभिलेख उपस्थापित।
वादी एवं पीछे अधिकारी उपस्थित हैं। उभर
पक्षों में बताया है कि गलत भी समझ
राशि वसूल कर लिया गया है।
अतः वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

नीलाग पत्र पदार्थ
- 48 -
अं० अ०
कारमाटी (विद्यालय)